रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072025-265003
CG-DL-E-26072025-265003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3373]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947
No. 3373]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3450(अ).— राष्ट्रपति, 17.08.2016 को भारत के राजपत्र सं. 2045 (भाग-II, खंड-3, उप-खंड-ii, असाधारण) में प्रकाशित "डाकघर बीमा निधि (अभिरक्षा और निवेश) विनियम, 2010" के पैरा-15 (3) में 1 जुलाई 2024 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन से पूर्व :

"सभी प्रधान डाकघर तथा लेखा निदेशक (डाक), नागपुर सामान्य क्रम में सभी संबंधितों को भेजी जा रही सूचनाओं के अलावा किसी सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से दैनिक आधार पर इलेक्ट्रानिक रूप में डाक जीवन बीमा निदेशक, कोलकाता को अलग से डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लेनदेन के कारण कुल प्राप्तियों, भुगतानों तथा निवल अभिवृद्धियों के बारे में सूचना प्रदान करेंगे। इसके **बाद** डाक जीवन बीमा निदेशक, कोलकाता संपूर्ण डाटा को संकलित करेंगे, दोनों उप निधियों (पी एल आई एवं आर पी एल आई) के तहत अलग अलग निवल अभिवृद्धियों के सटीक आंकड़े का निर्धारण करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस को अधिक से अधिक पूर्वाह्न 10.30 बजे तक फैक्स और ईमेल से पी एल आई निदेशालय को इसके बारे में सूचित करेंगे। निवेश के लिए पी एल आई निदेशालय द्वारा निवेश प्रभाग, मुंबई को निवेश सलाह जारी की जाएगी तथा उसकी प्रति लेखा निदेशक (डाक), नागपुर, निदेशक मुंबई जी पी ओ तथा डाक जीवन बीमा निदेशक, कोलकाता को भेजी जाएगी। डाक जीवन बीमा निदेशक, कोलकाता दर्ज की गई राशि से रिपोर्टों का मिलान करेंगे

और निधि प्रवाह विवरण तथा मासिक नकद लेखा के आंकड़ों के बीच अंतर, यदि कोई हो, में सामंजस्य के लिए सभी सुधारात्मक कदम उठाएंगे।"

संशोधन के पश्चात् :

"सभी प्रधान डाकघर तथा लेखा निदेशक (डाक), नागपुर सामान्य क्रम में सभी संबंधितों को भेजी जा रही सूचनाओं के अलावा किसी सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से दैनिक आधार पर इलेक्ट्रानिक रूप में पीएलआई निदेशालय, नई दिल्ली को अलग से डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लेनदेन के कारण कुल प्राप्तियों, भुगतानों तथा निवल अभिवृद्धियों के बारे में सूचना प्रदान करेंगे। इसके बाद डाक जीवन बीमा निदेशालय, नई दिल्ली संपूर्ण डाटा को संकलित करेगा और दोनों उप निधियों (पी एल आई एवं आर पी एल आई) के तहत अलग अलग निवल अभिवृद्धियों के सटीक आंकड़े का निर्धारण करेंगे। निवेश के लिए पी एल आई निदेशालय द्वारा निवेश प्रभाग, मुंबई को निवेश सलाह जारी की जाएगी तथा उसकी प्रति लेखा निदेशक (डाक), नागपुर, निदेशक, मुंबई जी पी ओ तथा डाक जीवन बीमा निदेशक, कोलकाता को भेजी जाएगी। डाक जीवन बीमा निदेशक, कोलकाता दर्ज की गई राशि से रिपोर्टों का मिलान करेंगे और निधि प्रवाह विवरण तथा मासिक नकद लेखा के आंकड़ों के बीच अंतर, यदि कोई हो, में सामंजस्य के लिए सभी सुधारात्मक कदम उठाएंगे।"

[फा. सं. 09-01/2023-एलआई (पार्ट-1)]

दीपक आशीष कौल, महाप्रबंधक (वित्त)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

S.O. 3450(E).— The President is pleased to make the further following amendments to Para-15(3) of "Post Office Insurance Fund (Custody and Investment) Regulation 2010" published on 17 August, 2016 in the Gazette of India No. 2045 (Part-II Section-3, Sub Section-ii Extraordinary) w.e.f. 1st July 2024.

For: "All Head Post Offices and Director of Accounts (Postal) Nagpur, shall render the information about the total receipts, payments and net accretions on account of Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance transactions separately to Director of Postal Life Insurance Kolkata, electronically on a daily basis through a secured system, in addition to the information being sent by them to all concerned in normal course. Director of Postal Life Insurance Kolkata, in turn, will compile the entire data, arrive at the accurate figure of net accretions under both the Sub Funds (PLI & RPLI) separately and intimate the same to PLI Directorate, over FAX and e-mail latest by 10:30 AM every working day. The Investment Advice will be released by PLI Directorate for investment to Investment Division, Mumbai with a copy to the Director of Accounts (Postal), Nagpur, Director Mumbai GPO and Director of Postal Life Insurance, Kolkata. Director of Postal Life Insurance Kolkata will tally the reports with booked amount and take all remedial measures for reconciliation of differences, if any, between the Fund Flow Statement and Monthly Cash Account figures".

Read: "All Head Post Offices and Director of Accounts (Postal) Nagpur, shall render the information about the total receipts, payments and net accretions on account of Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance transactions separately to PLI Directorate, New Delhi, electronically on a daily basis through a secured system, in addition to the information being sent by them to all concerned in normal course. PLI Directorate, New Delhi, in turn, will compile the entire data, arrive at the accurate figure of net accretions under both the Sub Funds (PLI&RPLI) separately. The Investment Advice will be released by PLI Directorate for investment to Investment Division, Mumbai with a copy to the Director of Accounts (Postal), Nagpur, Director Mumbai GPO and Director of Postal Life Insurance, Kolkata. Director of Postal Life Insurance, Kolkata, will tally the reports with booked amount and take all remedial measures for reconciliation of differences, if any, between the Fund Flow Statement and Monthly Cash Account figures".

[F. No. 09-01/2023-LI(Part-1)]

DEEPAK ASHISH KAUL, General Manager (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.26 17:03:39 +05'30'